तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	नानगराम वगै० बनाम् हीरालाल वगै० दावा बाबत इस्तकरार हक, तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 129/2008 बी. टी. नम्बर 417/2017
24.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प– अजीतगढ़ में पेश हुई। वादीगण में वादी न. 1 नानगराम व वादी न. 2 गोविन्दराम लोक अदालत में उपस्थित आये। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के पत्रांक 367/भू.अ./2015 दिनांक 06.10.2015 के द्वारा प्राप्त हो चूकी है। जो पूर्व में शामिल मिसल की जा चूकी है। वादीगण न. 1 व 2 ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराया एंव प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही लोक अदालत की भावना से अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण न. 6 व 7 के कायम मुकामान् की सम्मन तामील पूर्व में होकर लौट चूकी है। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण में से कोई उपस्थित नहीं आये है। अतः वकील वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् को स्वीकार किया जाता है तथा संशोधित शीर्षक को रिकार्ड पर लिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 14.03.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 367/भू.अ./2015 दिनांक 06.10.2015 के द्वारा प्राप्त हो चूकी है।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नानगराम वगै० बनाम् हीरालाल वगै०
दावा बाबत इस्तकरार हक, तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 129/2008 बी. टी. नम्बर 417/2017

वकील प्रतिवादी श्री बाबूलाल शर्मा ने विधिक विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना पूर्व में दिनांक 04.11.2015 को अंकित किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वकील उक्त प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट सें सहमत है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 367/भू.अ./2015 दिनांक 06.10.2015 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। इसी भाँति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प– अजीतगढ़ में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–अजीतगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner